(5)

सं० प-1904/15-7-86(1)36(1)/20..

प्रेषक,

श्याम सुन्दर अग्निहोत्री,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2, सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक: ~~अगस्त~~ 07 सितम्बर, 2000

विषय:- मदर इण्डिया पब्लिक स्कूल नन्दग्राम गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मदर इण्डिया पब्लिक नन्दग्राम गाजियाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

(2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

(5) संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उ०मा० विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

---2/

(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

(9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव ।

पृ०सं०-1904(1)/15-7-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
4- सह निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ ।
5- प्रबंधक, मार्र इण्डिया पब्लिक स्कूल नन्दग्राम गाजियाबाद ।
6- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(श्याम सुन्दर अग्निहोत्री)
संयुक्त सचिव ।

हिन्दी माध्यम

मान्यता कोड संख्या– जे0टी0टी0–02

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक
मदर इण्डिया प0जू0हा0 स्कूल
जलालपुर शोभापुर रोड मुरादनगर, गाजियाबाद।

पत्रांक / शि0सं0 / मान्यता / 7271–73 / 2013–14 दिनांक– 18/11/2014

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके आवेदन दिनांक 31.08.2013 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं मदर इण्डिया प0जू0हा0 स्कूल जलालपुर शोभापुर रोड मुरादनगर, गाजियाबाद को दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 04.01.2014 की कार्यवाही में प्रदत्त सहमति के आधार पर अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता / संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। एसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रकिया के अधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधे का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:
   - प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   - किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नही किया जाएगा।
   - प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी। प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   - अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   - अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   - अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
   - अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नही करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 12220 वर्गफीट कुल निर्मित क्षेत्र कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल है
कक्षाओं की संख्या 08 प्रधानाध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डार के लिए कक्ष 02
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 04 पेयजल सुविधा है
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई बाधा रहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम / संगठन या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13 विद्यालय क लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्यांक जे0टी0टी0–02 है**। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. सलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाऐ।

भवदीय
18/11/14
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0 / शि0सं0 / / 2013–14 तददिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी / विकास खण्ड / नगर क्षेत्र मुरादनगर
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

हिन्दी माध्यम

मान्यता कोड संख्या– प्राइमरी स्तर अ0–01

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेष्य,

प्रबन्धक
मदर इण्डिया पब्लिक स्कूल,
मुरादनगर गाजियाबाद

पत्रांक / मान्यता / 1503–1505 / 2017–18 / दिनांक– 20/5/17

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 31.08.2016 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से **मैं मदर इण्डिया पब्लिक स्कूल मुरादनगर गाजियाबाद** को तरीख 01.04.2017 से तारीख 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए 01 से कक्षा 5 तक के लिए मान्यता समिति की बैठक दिनांक 18.05.2017 की कार्यवाही में व्यक्त सहमति व्यक्त सहमति के आधार पर अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है और उसमें किसी भी रूप मे कक्षा के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों को पालने करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। एसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नही करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नही करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:–
   i. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नही किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा।
   ii. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नही किया जाएगा।
   iii. प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।
   iv. प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।
   v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
   vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यामान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
   vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
   viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजि नही करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल–300 वर्गमी0 कुल निर्मित क्षेत्र–300 वर्ग मी0 कीड़ा–स्थल का क्षेत्रफल–है
कक्षाओं की संख्या–05 कक्ष प्राधानाध्यपक कक्ष–1 सह–कार्यालय–1 सह–भांडागार के लिए कक्ष–01
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–01 पेयजल सुविधा–है
मिड–डे मील पकाने के लिए रसोई –01 बाधा रहित पहुंच
अध्यापन पठन सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नही चलाया जा रहा है।
13 विद्यालय क लेखाओं की किसी चार्टड, अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **प्राइमरी स्तर अ0–01** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशकों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्याकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाऐ।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु प्रति छात्र 9 वर्ग फीट का स्थान सुरक्षित करते हुए कक्षों की माप के हिसाब से छात्र संख्या निर्धारित की जाऐ।
19. विद्यालय में अर्ह व टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अध्यापकों की नियुक्ति की जाए साथ ही आरक्षण का पालन किया जाए।
20. प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नही होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

भवदीय
20/05/17
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0सं0 / मान्यता / / 2017–18 / तदद्दिनांक–

प्रतिलिपि–निम्नाकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।
2. खण्ड शिक्षा अधिकारी मुरादनगर, गाजियाबाद।
3. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

कार्यालय– जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद।

पत्रांक / मान्यता / शि0स0 / 5846 / 2023–24 दिनांक 28/11/2023

प्रबन्धक,

मदर इण्डिया प0जू0हा0 स्कूल,

जलालपुर शोभापुर रोड मुरादनगर गाजियाबाद।

आप द्वारा अपने पत्र दिनांक 30–11–2023 द्वारा विघालय की मान्यता को स्थायी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं। अभिलेखों के अनुसार विघालय को से कक्षा–06 से कक्षा–8 तक माध्यम हिन्दी की मान्यता अस्थायी रूप से इस कार्यालय के पत्रांक मान्यता –शि0 सं0 /7271–73/2013–14 दिनांक 18–01–2014 द्वारा प्रदान की गई थी।

सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद की संस्तुति के आधार पर **शासनादेश संख्या– 89/अरसठ–3–2018–2041 दिनांक** ***11–01–2019 एवं शासनादेश सख्या –196/अडसठ–3–2020 –2041/2018 दिनांक 29 जून 2020*** द्वारा किये गये संशोधन आदेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार मान्यता की नवीन शर्ते पूर्ण करने तथा विघालय के विरूद्ध कोई शिकायत न होने के कारण विघालय को दी गई मान्यता स्थायी की जाती हैं। विघालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तो के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विघालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(ओमप्रकाश यादव)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।

पृ0 सं0/शि0स0/ / 2023–24 तद्रदिनांक

प्रतिलिपि– सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गाजियाबाद।